पत्रांक– 20/वि० 1–11/2016 ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज

उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक..........................

विषय– विश्व बैंक परियोजना "Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar" कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.) में कैम्पस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याता आवास का निर्माण तथा फर्निशिंग आदि कार्य के लिए क्रमशः ₹ 65,18,16,400.00 (पैसठ करोड़ अठारह लाख सोलह हजार चार सौ) रूपये एवं ₹ 50,71,53,400.00 (पचास करोड़ इकहत्तर लाख तिरपन हजार चार सौ रूपये) अर्थात् कुल ₹115,89,69,800.00 (एक सौ पन्द्रह करोड़ नवासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ) रूपये की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

राज्य के 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 23 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, 4 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बाईट) एवं 6 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (कुल 66 प्रशिक्षण संस्थानों) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) से मान्यता प्राप्त हैं एवं इनमें 2 वर्षीय डी.एल.एड. तथा बी.एड. प्रशिक्षण संचालित है। इनमें से अधिकांश संस्थानों में अकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है/तथा कई में पूर्ण हो चुका है। इन कार्यों के अतिरिक्त इन संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए छात्रावास एवं अकादमिक भवन में फर्निचर की व्यवस्था की जानी है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से संस्थानों में चहारदिवारी का निर्माण कराया जाना है। साथ ही प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के संस्थान परिसर में रहने के लिए आवास का निर्माण किया जाना है।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.) में कैम्पस विकास आदि का कार्य शुरू किया जाना है। संस्थानों का नाम एवं उनमें कैम्पस विकास हेतु प्राक्कलन की राशि निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	संस्थान का नाम	प्राक्कलन की राशि (लाख में)
1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाबूटोला, बांका	521.547
2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरबिसगंज, अररिया	531.840
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामगंज, खगड़िया	484.126
4	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नरार, मधुबनी	548.667
5	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छतौनी, मोतिहारी	505.815
6	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा	500.878
7	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नूरसराय, नालन्दा	432.336
8	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ	513.148
9	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिवान	470.952
10	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सोनपुर, सारण	434.083
11	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टीकापट्टी, कटिहार	581.729
12	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिक्रम, पटना	491.673
13	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय	501.370
14	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बंगरा, सारण	456.708
15	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बिहियाँ, भोजपुर	487.865
16	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चंदवारा, मुजफ्फरपुर	436.300
17	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, घोघरडीहा, मधुबनी	438.267

18	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, विष्णुपूर, बेगूसराय	402.29
19	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, पताही, मुजफ्फरपुर	463.471
20	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना	457.034
21	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, फुलवरिया, भागलपुर	399.710
22	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर जलालपुर, समस्तीपुर	495.534
23	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सोरहत्था, वैशाली	609.269
24	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, नगरपारा, भागलपुर	425.081
	कुल राशि	₹11589.698

3. उपर्युक्त 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.) में कैम्पस विकास निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याता आवास निर्माण तथा फर्निशिंग आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर राशि का प्राक्कलन अंकित किया गया है।

4. विश्व बैंक परियोजना "Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar" कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.) में कैम्पस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याता आवास का निर्माण तथा फर्निशिंग आदि कार्य के लिए क्रमशः ₹65,18,16,400.00 (पैसठ करोड़ अठारह लाख सोलह हजार चार सौ) रूपये एवं ₹ 50,71,53,400.00 (पचास करोड़ इकहत्तर लाख तिरपन हजार चार सौ रूपये) अर्थात् कुल ₹ 115,89,69,800.00 (एक सौ पन्द्रह करोड़ नवासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ) रूपये की स्वीकृति दी जाती है।

5. उपर्युक्त विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना में विश्व बैंक एवं राज्य सरकार का हिस्सा 70:30 के अनुपात में।

6. राशि का विकलन 21–शिक्षा विभाग, मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष–202–माध्यमिक शिक्षा, उपशीर्ष–0510– राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन (बाह्य सम्पोषित परियोजना), विपत्र कोड–21–4202012020510, पी.एफ.एम.एस कोड–1383, विषय शीर्ष–0510.53.01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत होगा।

7. सम्पूर्ण राशि निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग के द्वारा BTC फार्म 46 पर करते हुए राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० के पी.एल. खाता में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

8. निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा संबंधित डायट/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जाएगी।

9. राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

10. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–20/वि० 1–11/2016 के पृष्ठ संख्या 36/टि० पर दिनांक 27.12.2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–20/वि० 1–11/2016 के पृष्ठ संख्या 38/टि० पर दिनांक 10.1.18 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा एवं बजट प्रशाखा–5, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्राचार्य, डायट, पी.टी.ई.सी./प्रशाखा पदाधिकारी–12 एवं 20, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 .... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/वि० 1–11/2016 ......101...... पटना, दिनांक ......8/12/16......
प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/12/16
उप सचिव